पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2019 की विविध अपील No.51

==========

डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अहाराघाट, मुज़फ़्फ़रपुर, मृत्युंजय कुमार रॉय, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चाणक्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल, नेर 'आर' ब्लॉक, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001 ने प्रतिनिधित्व किया।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. सरिता देवी और अन्य और स्वर्गीय बैद्यनाथ राम की पत्नी दोनों ग्राम पैठण पट्टी, थाना हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी हैं।

2. सौरभ कुमार स्वर्गीय बैद्यनाथ राम के पुत्र दोनों ग्राम पैठण पट्टी, थाना हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी हैं।

3. प्रेम कुमार, नगीना राम के पुत्र, ग्राम चैनपुर, थाना-कांटी, जिला-मुजफ्फरपूर के निवासी

..... उत्तरदाता

==========

मोटर वाहन दावा अधिनियम-धारा 166-जिला न्यायाधीश-सह-मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील दावेदार प्रतिवादी को मुआवजे की राशि 48,22,897 रूपये 6 प्रतिशत के साथ बोलेरो के मालिक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दावा किया गया था-वैध पॉलिसी के साथ बीमित वाहन-बोलेरो चालक के खिलाफ दायर आरोप पत्र दाखिल - मुआवजे की शुद्धता दी गई - मृतक की आय से आयकर की कटौती।

अभिनिर्धारित किया गयाःप्रत्यर्थियों को याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 44,13,332/- का अधिकार है-यह राशि तीन महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जानी है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2019 की विविध अपील No.51

==========

डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अहाराघाट, मुज़फ़्फ़रपुर, मृत्युंजय कुमार रॉय, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चाणक्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल, नेर 'आर' ब्लॉक, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001 ने प्रतिनिधित्व किया।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. सरिता देवी और अन्य और स्वर्गीय बैद्यनाथ राम की पत्नी दोनों ग्राम पैठण पट्टी, थाना हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी हैं।

2. सौरभ कुमार स्वर्गीय बैद्यनाथ राम के पुत्र दोनों ग्राम पैठण पट्टी, थाना हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी हैं।

3. प्रेम कुमार, नगीना राम के पुत्र, ग्राम चैनपुर, थाना-कांटी, जिला-मुजफ्फरपूर के निवासी

..... उत्तरदाता

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं की ओर से : श्री संजय कुमार सं. 1, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं की ओर से : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता

==========

कोरम (समक्ष): माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

दिनांक: 03-11-2022

वर्तमान अपील अपीलार्थी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अब से संक्षिप्त में 'यूनाइटेड इंडिया') द्वारा अपने मंडल प्रबंधक के माध्यम से विद्वान जिला न्यायाधीश-सह-मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा दावा मामला संख्या 321 से 2017 (अब से संक्षिप्त में 'न्यायाधिकरण') में दिनांकित 22.9.2018/पंचाट दिनांकित 3.10.2018 के फैसले और आदेश के खिलाफ की गई है, जिसके द्वारा मुआवज़े की राशि रु। 48,22,897-वाहन दावा अधिनियम (अब संक्षेपित में अधिनियम) की धारा 166 के तहत दावेदार-प्रतिवादी को पहला सेट दिया गया था।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्यों का मैट्रिक्स इस प्रकार हैः

3. मृतक, बैदनाथ राम, 19.2.2016 को, अपनी मोटरसाइकिल से मोतिहारी लौटते समय और घास काटने वाले से दुर्घटना को रोकने के लिए, सड़क पर गिर गया और एक वाहन से टकरा गया।उन्हें मोतिहारी अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें पटना के निजी नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान 25.2.2016 को उनकी मृत्यु हो गई।इसके बाद, उनका पुत्र सौरभ कुमार ने अज्ञात मोटर-साइकिल चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304 (ए) के

तहत 2016 के हरसिद्धि थाना मामला संख्या 84 के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की।

4. पुलिस ने इस मामले की जांच की जिसके बाद यह पाया गया कि मृतक बैदनाथ राम को वास्तव में पंजीकरण संख्या वाले एक बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी थी। बीआर-06 पीबी-4762।घटना के कई गवाहों ने पुलिस के समक्ष इसका समर्थन किया और तदनुसार 30.10.2017 को आरोप पत्र सं. 400/17 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 279,304 (ए) के तहत बोलेरो चालक के खिलाफ आरोप पत्र किया गया।

5. इसके बाद मृतक की पत्नी सरिता देवी और पुत्र सौरभ कुमार ने 'न्यायाधिकरण', मुजफ्फरपुर के समक्ष 'अधिनियम' की धारा 166 के तहत 2017 का दावा मामला संख्या 321 पेश किया। यूनाइटेड इंडिया' के अतिरिक्त के खिलाफ 90,00,000 रु. के मुआवज़े का दावा किया।

6. 'न्यायाधिकरण' के समक्ष दावेदार का निवेदन था कि मृतक राज्य सरकार के तहत सरकारी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, गोखला में सहायक शिक्षक था और उसे रु। 46, 916/- वेतन प्रति माह।दुर्घटना/मृत्यु के समय वे 50 वर्ष, 9 महीने के थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी सरिता देवी और पुत्र सौरभ कुमार थे।यह दावा बोलेरो के मालिक के साथ-साथ 'यूनाइटेड इंडिया' के खिलाफ भी किया गया था।

7. वाहन के मालिक ने पेश होकर दुर्घटना में अपने वाहन की संलिप्तता से इनकार करते हुए मामले का विरोध किया।उन्होंने आगे दावा किया कि प्रश्नगत वाहन का वैध पॉलिसी संख्या के साथ 'यूनाइटेड इंडिया' के साथ बीमा किया गया था। 2102013115**P**10955752 की वैधता अवधि 19.11.2015 से 18.11.2016 है।इस प्रकार पॉलिसी दुर्घटना के जोखिम को कवर कर रही थी और इस तरह मालिक को मुआवजे की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

8. 'यूनाइटेड इंडिया' ने भी इस मामले का विरोध करते हुए दावा किया कि अज्ञात मोटर-साइकिल चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बोलेरो वाहन के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और इस तरह दावा खारिज किए जाने योग्य है।

9. 'न्यायाधिकरण' ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें स्वतंत्र गवाह एडब्ल्यू-2 करीमन राम, एडब्ल्यू-3, मो. नौशाद और एडब्ल्यू-4 अमित राज से पूछताछ की गई और उन्होंने खुलासा किया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन घास काटने वाले को बचाने के लिए मृतक सड़क पर गिर गया और बी.आर.06-पी.बी. 4762 पंजीकरण संख्या वाले बोलेरो वाहन ने उसे टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

10. इसके बाद 'न्यायाधिकरण' ने 22.9.2018 दिनांकित एक आदेश और निर्णय के माध्यम से निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

11. इस प्रकार अभिलेख पर लाए गए उपरोक्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि मृतक बैदनाथ राम की मृत्यु सड़क दुर्घटना में उतावलेपन और लापरवाही से बोलेरो सं.बी. आर.-06. पी. बी.-4762 गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। जिसके लिए 2016 का हरसिद्धि थाना मामला संख्या 84, बोलेरो संख्या बीआर-06 पीबी-4762 के चालक के खिलाफ दर्ज किया गया था। ।अतः मुद्दा सं.2 दावेदारों के पक्ष में निर्णय लिया जाता है।

12. <u>मुद्दा संख्या 3</u> जैसा कि अपमानजनक बोलेरो नं। बी. आर.-06 पी. बी.-4762 का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओ. पी. संख्या 2) के साथ पॉलिसी 2102013115 पी10955752 19.11.2015 से 18.11.2016 तक वैधबीमा पॉलिसी की ज़ेरॉक्स प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है जो पॉलिसी की वैधता की पुष्टि करती है। इसलिए, इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया है कि बोलोएरो सं. बीआर-06 पीबी-4762 का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ दुर्घटना की तारीख को 19.2.2016 पर किया गया था।

13. मुद्दा संख्या 4 सबूत का भार बीमा कंपनी पर है कि वह यह साबित करे कि उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक नंबर. बीआर-06 पीबी-4762 के पास दुर्घटना के समय वाहन चलाने के लिए कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं। ओ. पी. नं. 2 इस तथ्य को लाने में विफल रहा है कि कथित दुर्घटना के समय चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं। इसलिए इस मुद्दे को ओ. पी. सं.2 के खिलाफ तय किया गया है।

14. मुद्दा संख्या 5 मृतक बैदनाथ राम की बोलेरो सं. बी.आर-06 पी.बी.4762 से दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अब यह तय करना होगा कि दावेदारों के पक्ष में न्यायसंगत और उचित मुआवजा क्या होगा। डाक्टर ने पी.एम. पोर्ट में 50 वर्ष की आयु का आकलन किया गया है लेकिन मृतक की सेवा पुस्तिका से पता चलता है कि दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु लगभग 50 वर्ष 9 महीने थी। प्रदर्श 1 के अनुसार मृतक का मासिक वेतन रु। 46916/-। मृतक की वार्षिक आय रु. 46916/**x**12 = रुपये 5,62,992-। 1/3 मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए राशि की

कटौती की जाएगी जो रुपये 1,87,664 पर आती है- और रुपये 5,62,992 से रुपये 1,87,664 काटने के बाद यह रुपये 3,75,328-पर आती है।दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 50 वर्ष और 9 महीने थी।मुकदमे के तर्क के समय, दावेदारों के विद्वान वकील ने एसएलपी (सिविल) सं.25590/2014 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। भविष्य की संभावना की गणना के संबंध में जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "आय का निर्धारण करते समय भविष्य की संभावना के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाता है, मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी, उसे बनाया जाना चाहिए।यदि मृतक की आयु 40-50 वर्ष के बीच थी तो यह वृद्धि 30 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि मृतक की आयु 50-60 वर्ष के बीच थी, तो वृद्धि 15 प्रतिशत होनी चाहिए।इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मृतक के लिए 15 प्रतिशत की भावी संभावना की अनुमति है और यह रु. 56,299/- और इसे रुपये

*3,75,328 में जोड़ने के बाद-यह रुपये 4,31,627-पर आता है। गुणक 11 दूसरी अनुसूची 163 ए. एम. वी. अधिनियम में 50-55 वर्ष के आयु वर्ग के बीच दिया गया है, और रु.4,31,627-**x**11 को गुणा करने के बाद। यह रुपये 47,47,897-पर आता है, रुपये के अलावा, साझेदारी राशि के लिए 25000/- जिस पर दावेदार सं. 1 प्राप्त करने का हकदार है और इस प्रकार कुल राशि को लेते हुए यह रु। 48,22,897-।दावेदार एम. वी. अधिनियम की धारा 140 के तहत याचिका से नहीं भागे हैं। इसके अलावा दावेदार ओ. पी. सं. 2 से किए गए दावे की राशि पर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं।*

*15. मुद्दा सं.1 दावेदार सं.1 वे मृतक बैद्यनाथ राम की पत्नी और पुत्र हैं। बैद्यनाथ राम की सड़क दुर्घटना में लापरवाही और जल्दबाजी से गाड़ी चलाने के कारण मौत हो गई। बी. आर.-06. पी. बी.-4762 और दुर्घटना की प्रासंगिक तिथि और समय पर उल्लंघन करने वाला बोलेरो नं. बी. आर.-06. पी. बी.-4762 ओ. पी. सं.2 के साथ बीमित।और इसकी पॉलिसी सं. 2102013115**P**10955752 19.11.2015 से 18.11.2016*

तक वैध है।इसलिए, बीमा पॉलिसी दुर्घटना के जोखिम की तारीख को कवर करती है। इस प्रकार यह मुद्दा भी दावेदारों के पक्ष में तय किया जाता है।

16. उपरोक्त निष्कर्षों को दर्ज करने के साथ दावेदारों द्वारा दायर इस दावा आवेदन की अनुमति है और यह यहाँ है

आदेश

कि ओ. पी. सं. 22 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 48,22,897-(अड़तालीस लाख बाईस हजार आठ सौ सत्तानबे) केवल रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ उस पर दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से दावेदारों को इसकी प्राप्ति तक। प्रदत्त राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में दावेदारों को अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजे की राशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता होगी।दावेदारों को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में संयुक्त खाता खोलें जहां वे रहते हैं।कार्यालय को तुरंत पंचाट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

11. तदनुसार, 'न्यायाधिकरण' ने युनाइटेड इंडिया को 48,22,897/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। -आवेदन दाखिल करने की तारीख से इसकी प्राप्ति की तारीख तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ।

12. पीड़ित, वर्तमान अपील 'यूनाइटेड इंडिया' द्वारा दायर की गई है।

13. 22.9.2022 को, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अपीलार्थी को 38 लाख रूपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया था 2019 के निष्पादन मामला संख्या 38 के संबंध में 'विद्वान न्यायाधिकरण' के समक्ष जिसे हालांकि वितरित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

14. पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

15. श्री राज कुमार सिंह विक्रम, विद्वान वकील अपीलार्थी ने दो गुना प्रस्तुतियाँ कींः

(i) मृतक के पुत्र (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस तरह से बोलेरो वाहन की संलिप्तता नहीं हो सकती थी और इस प्रकार 'संयुक्त भारत' का मुआवजा देने का कोई दायित्व नहीं है;

(ii) दावेदार को मुआवजा देते समय आयकर में कटौती नहीं की गई थी।

16. इसके विपरीत, श्री रवि रंजन, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील सं.1 ने प्रस्तुत किया कि पुत्र घटना का चश्मदीद नहीं था और पुलिस को जांच के दौरान वास्तविक सच्चाई मिली कि यह उपरोक्त बोलेरो वाहन था जिसने मृतक को टक्कर मारी थी।इसने तदनुसार आरोप पत्र प्रस्तुत किया।बोलेरो के मालिक/चालक ने दुर्घटना में वाहन के निहितार्थ का विरोध नहीं किया है, अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति को खारिज किया जाना उचित है।

17. जहाँ तक क्षतिपूर्ति राशि से आयकर की कटौती का संबंध है, वह स्वीकार करते हैं कि वेतन से आयकर की कटौती की जानी थी और आदेश को उस हद तक संशोधित किया जा सकता है।

18. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि जहां तक प्रस्तुत की गई दलीलें हैं अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि इसे इस आधार पर खारिज किया जाना उचित है कि पुलिस ने न केवल मामले की जांच की और बोलेरो वाहन की संलिप्तता पाई, बल्कि उसने वास्तव में बोलेरो चालक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया 400/2017 और संबंधित पक्ष द्वारा बिना किसी गड़बड़ी के स्वीकार किए जाने के कारण, अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न बिना किसी योग्यता के है।

19. इसके अलावा, क्योंकि बोलेरो वाहन की भागीदारी सामने आई है, तथ्य यह है कि वाहन का पंजीकरण संख्या। बी. आर.-06-पी. बी.-4762 की पॉलिसी संख्या के अनुसार वैध बीमा पॉलिसी थी।

2102013115**P**10955752 'यूनाईटेड इंडिया' के साथ 19.11.2015 से 18.11.2016 के बीच वैधता अवधि के साथ जबकि दुर्घटना 19.2.2016 पर हुई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता कंपनी इस मामले में अपने दायित्व को कम नहीं कर सकती है। इसके अलावा, 'यूनाइटेड इंडिया' ने यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया है कि दुर्घटना के समय, बीमित बोलेरो वाहन के पास कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने से मुक्त करने के लिए उचित दस्तावेज नहीं था।

20. जहाँ तक आयकर की कटौती का संबंध है, इस न्यायालय का मानना है कि इसे मृतक की आय में से काटा जाना था।

21. इस प्रकार, इस न्यायालय को न्यायाधीकरण द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति शुद्धता की जांच करनी थी।

22. इस संबंध में, न्यायालय श्री आलोक कुमार साही और श्री मदन मोहन का ऋणी है, जो न्यायालय कक्ष में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता थे, जिन्होंने न्यायालय के अनुरोध पर चार्ट तैयार करने में सहायता की।

23. मृतक का वेतन रु. 46,916/-था। चूंकि मृतक की आयु 50-60 वर्ष के बीच थी, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक के वास्तविक वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जानी है क्योंकि उसकी जन्म तिथि 5.5.1965 थी।

24. भविष्य की संभावनाओं पर जिन्हें वास्तविक वेतन में जोड़ने की आवश्यकता है, यहां **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य** में किए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक और आदेश को उद्धृत करना महत्वपूर्ण है। **2017 (4) पी. एल. जे. आर. (एस. सी.) 261** में विशेष रूप से उक्त आदेश के पैरा-61 में रिपोर्ट दी। जो इस प्रकार हैः

61. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैंः

*(i) **संतोष देवी** की दो-न्यायाधीशों की पीठ को इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की अच्छी तरह से सलाह दी जानी चाहिए थी क्योंकि यह **सरला वर्मा** में कही गई बात से एक समन्वित पीठ द्वारा निर्णय अलग दृष्टिकोण ले रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही ताकत का एक समन्वित पीठ दूसरे समन्वय पीठ द्वारा रखे गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकता है।*

*(ii) चूँकि **राजेश** ने **रेशमा कुमारी** के मामले में निर्णय पर ध्यान नहीं दिया है, जो पहले समय पर दिया गया था, इसलिए **राजेश** में निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है।*

(iii) आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50

प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है तो यह वृद्धि 30 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो वृद्धि 15 प्रतिशत होनी चाहिए। वास्तविक वेतन को वास्तविक वेतन कर रहित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

(iv) *यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी। 25 प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी और 10 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए। स्थापित आय का अर्थ है आय से कर घटक से घटाना।*

(v) *गुणक राशि के निर्धारण के लिए, व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती, न्यायाधिकरणों और अदालतों को* ***सरला वर्मा*** *के पैराग्राफ 30 से 32 द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसे हमने पहले पुनः प्रस्तुत किया है।*

(vi) *गुणक का चयन उस निर्णय के पैराग्राफ 42 के साथ पठित* ***सरला वर्मा*** *की तालिका में दर्शाए गए अनुसार होगा।*

*(**vii**) गुणक लगाने के लिए मृतक की आयु आधार होनी चाहिए।*

*(**viii**) पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च रु। 15,000/-, रु. 40,000/- और रु. 15,000/- क्रमशः।उपर्युक्त राशियों को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना चाहिए।*

25. इस प्रकार प्रणय सेठी (ऊपर) मामला संदर्भित करता है **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** के एक दूसरे आदेश का **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य** रिपोर्ट **2009 (6) एस. सी. सी. 121** में दर्ज की गई जिसमें पैरा-30 से 32 निम्नानुसार हैः

30. हालांकि कुछ मामलों में व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए की जाने वाली कटौती की गणना त्रिलोक चंद्र में दर्शाई गई इकाइयों के आधार पर की जाती है, लेकिन सामान्य प्रथा मानकीकृत कटौती को लागू करना है।इस न्यायालय के बाद के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि जहां मृतक विवाहित था, वहां मृतक के व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चों के लिए कटौती एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3, आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 होने पर एक

चौथाई 1/4 और आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 6 से अधिक होने पर पाँचवां भाग 1/5 वाँ।

31. जहाँ मृतक कुंवारा था और दावेदार माता-पिता हैं, वहाँ कटौती एक अलग सिद्धांत का पालन करती है। कुंवारों के लिए, आम तौर पर, 50 प्रतिशत व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में काटा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक कुंवारा खुद पर अधिक खर्च करेगा।अन्यथा, कम समय में उसकी शादी होने की भी संभावना है, इस स्थिति में माता-पिता और भाई-बहनों के योगदान में भारी कटौती होने की संभावना है। इसके अलावा, इसके विपरीत साक्ष्य के अधीन, पिता की अपनी आय होने की संभावना है और उसे आश्रित नहीं माना जाएगा और केवल मां को ही आश्रित माना जाएगा। इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, भाइयों और बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्रता और कमाने वाले होंगे, या विवाहित होंगे, या पिता पर निर्भर होंगे।

32. इस प्रकार भले ही मृतक के माता-पिता और भाई-बहन बचे हों, केवल माँ को आश्रित माना जाएगा, और 50 प्रतिशत को कुंवारे के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में माना जाएगा और 50 प्रतिशत को परिवार को योगदान। हालाँकि, जहाँ कुंवारे का परिवार बड़ा है और 2019 डीटी के

मृतक की आय, पर निर्भर जैसे कि उस मामले में जहां उसकी एक विधवा माँ है और बड़ी संख्या में छोटी गैर-कमाई करने वाली बहनें या भाई हैं, उसका व्यक्तिगत और रहने का खर्च एक तिहाई तक सीमित हो सकता है और परिवार में योगदान दो तिहाई के रूप में लिया जाएगा।

26. आगे **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य** (उपर्युक्त) का पैरा-42 इस प्रकार पढ़िएः

42. इसलिए हमारा मानना है कि उपयोग किया जाने वाला गुणक उपरोक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित होना चाहिए (सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली को लागू करके तैयार किया गया), जो 18 के ऑपरेटिव गुणक (15 से 20 और 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लिए) से शुरू होता है, हर पांच साल के लिए एक इकाई कम किया जाना चाहिए, जो कि 26 से 30 वर्ष के लिए एम-17,31 से 35 वर्ष के लिए एम-16,36 से 40 वर्ष के लिए एम-15,41 से 45 वर्ष के लिए एम-14, और 46 से 50 वर्ष के लिए एम-13, फिर हर पांच साल के लिए दो इकाइयों से कम किया जाना चाहिए, यानी 51 से 55 वर्ष के लिए एम-11, 56 से 60 वर्षों के लिए एम-9,61-65 वर्षों के लिए एम-7 और 66 से 70 वर्षों के लिए एम-5।

27. जैसा कि कहा गया है, मृतक की जन्म तिथि उसकी सेवा पुस्तिका के अनुसार 5.5.1965 थी।दुर्घटना 19.2.2016 को हुई।इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक की आयु 50 वर्ष, 9 महीने थी और तदनुसार मामले को 11 के गुणक द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

28. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के आलोक में, यह निम्नानुसार देखा जाता हैः

(i) मृतक जो सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, उसे रु। 46, 916/- का वेतन प्राप्त कर रहा था।भविष्य की संभावना के रूप में 15 प्रतिशत जोड़ते हुए, यह रु 84, 448/- कुल 6,47,440-।रुपये की कर राशि में कटौती। 56, 123/-, यह 5,91,317 रु. होता है।

(ii) व्यय के लिए एक तिहाई राशि को ध्यान में रखते हुए (रु। 1,97,105) यह आता है। 3,94,212-रु.। इसके अलावा, 11 का गुणक मृतक के मामले में लागू होगा जो दुर्घटना/मृत्यु के समय 50 वर्ष और नौ महीने का था और इस प्रकार रु. 3,94,212 **x**11, राशि रुपये में आती है 43, 36, 332/-

29. इसके अलावा, **नेशनल इन्श्योरेंस कं. लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य** पैरा 61 (**viii**) के बाद (ऊपर) रु. 70, 000/- को पारंपरिक शीर्षों के लिए जोड़ा जाना है, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान

और अंतिम संस्कार के खर्च (रु। 15, 000/-, रु। 40, 000/- और रु। 15, 000/- क्रमशः)।फिर से उपरोक्त राशि का 10 प्रतिशत (**Rs**.70,000/-) तीन साल के बाद बढ़ाना होगा और इस प्रकार यह रु। 77, 000/-।कुल मिलाकर रु। 43,36,332-+ रु. 77000/- कुल रु। 44,13,332-केवल।

30. इस प्रकार यह न्यायालय मानता है कि प्रत्यर्थी सं.1 और 2 याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ **Rs**.44,13,332/- की राशि के हकदार होंगे। यह राशि सीधे प्रतिवादी सं1 और 2 के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. से हस्तांतरित की जाएगी।

31. अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

रवि/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।